



2026:AHC.9182

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19767 वर्ष 2025

अफाक हुसैन

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	महेश कुमार, शिव शंकर यादव
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता	:	सी. एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री अजय कुमार पांडेय (एओआर सं. ए/ए 0215/2012) को सुना, जो रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव शंकर यादव की ओर से पेश हुए, और साथ ही राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को भी सुना।
2. श्री राहुल मालवीय, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय में यह बयान दिया है कि उनके पास आवश्यक निर्देश उपलब्ध हैं और वे इस मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं और वह कोई शपथपत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और यह रिट याचिका अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही तय की जाए।
3. दोनों पक्षों की सहमति से, इस रिट याचिका का निस्तारण प्रारंभिक चरण में ही किया जा रहा है।
4. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें वर्ष 1992 में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने 12.04.1993 को अपना कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद, 25.05.2021 को उन्हें सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के पद पर पदोन्नत किया गया। रिट

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिकाकर्ता के अनुसार, वे 31.12.2025 को सेवानिवृत्त हो गए। हालाँकि, इससे पहले 30.10.2025 को, जिला पंचायत राज अधिकारी, फर्रुखाबाद ने रिट याचिकाकर्ता का वेतन पुनः निर्धारित किया था, और इसके बाद 21.11.2025 को जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा एक वसूली सूचना जारी की गयी, जिसमें अधिक भुगतान की गई राशि, यानी 16,84,388/- रुपये की वसूली की मांग की गई थी; जिसके जवाब में रिट याचिकाकर्ता ने 09.12.2025 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया।

5. दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए, यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता, जिसका सीधा सा कारण यह है कि यह आदेश एकतरफ़ा रूप से, रिट याचिकाकर्ता को बिना कोई सूचना दिए और उसकी पीठ पीछे पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उनका यह भी निवेदन है कि यह मामला न तो धोखाधड़ी का है, न ही तथ्यों को छिपाने का और न ही किसी प्रकार के मिथ्या-कथन का। तथापि, सेवानिवृत्ति से दो माह पूर्व ही आक्षेपित आदेश पारित कर दिया गया है।

7. दूसरी ओर, विद्वान शासकीय अधिवक्ता का यह तर्क है कि यद्यपि आक्षेपित आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता को सूचना दी गयी थी, तथापि उनके अनुसार, नियोक्ता के लिए यह विकल्प सदैव खुला रहता है कि वह की गई त्रुटि को सुधार ले।

8. मैंने बार की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्कों को सुना है और अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है।

9. ज़ाहिर है, ज़िला पंचायत राज अधिकारी, ज़िला फर्रुखाबाद (प्रत्यर्थी संख्या 3) द्वारा दिनांक 30.10.2025 और 21.11.2025 को पारित आदेशों से यह प्रतीत नहीं होता कि रिट याचिकाकर्ता को सूचना दी गयी थी। **भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ एवं अन्य; (1994) 6 एससीसी 154** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

“3. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह तय किया गया था। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 1991 में, 18.12.1970 से पूर्वव्यापी प्रभाव से, 190 रुपये प्रति माह से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से गंभीर वित्तीय परिणामों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में की गई कटौती के खिलाफ कारण बताने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। विभाग द्वारा उसका वेतन घटाए जाने से पहले उसे कोई सूचना भी नहीं दिया गया था, और यह आदेश उसकी पीठ पीछे,



कानून में ज्ञात किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित कर दिया गया था। इस प्रकार, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है, और अपीलकर्ता को बिना सुनवाई का अवसर दिए भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। निष्पक्ष कार्यप्रणाली की यह मांग है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिसके परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी को गंभीर वित्तीय परिणामों का सामना करना पड़े, संबंधित व्यक्ति को सूचना दिए बिना और मामले में उसे सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाना चाहिए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए 25.7.1991 का वह आदेश (जापन), जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, निश्चित रूप से कायम नहीं रखा जा सकता था; और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करके त्रुटि की है। न्यायाधिकरण का आदेश रद्द किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 17.9.1993 के आदेश को, तथा साथ ही न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दिए गए दिनांक 25.7.1991 के उस आदेश (जापन) को भी रद्द करते हैं, जिसके द्वारा अपीलकर्ता का मूल वेतन 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था।

10. चूंकि आक्षेपित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता कि रिट याचिकाकर्ता को सूचना दी गयी थी, अतः इस न्यायालय के पास उक्त आदेश को निरस्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

11. तदनुसार, इस रिट याचिका का निस्तारण निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है:-

(क) जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला फर्रुखाबाद द्वारा पारित दिनांक 30.10.2025 और 21.11.2025 के आदेश निरस्त किए जाते हैं।

(ख) मामले को नए आदेश पारित करने हेतु संबंधित प्राधिकारी को वापस भेजा जाए।

12. मामले का जल्द निस्तारण करने के लिए, संबंधित पक्ष को संबंधित प्राधिकारी के सामने रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना होगा जो कि इस मामले का निस्तारण पूरी तेज़ी से करेंगे। इसके बाद, अधिकारी रिट याचिकाकर्ता को सुनवाई की तारीख तय करके सूचित करेंगे; यदि किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता होती है, तो रिट याचिकाकर्ता उसे एक आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत करेगा, और आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने के भीतर एक नया आदेश पारित किया जाएगा।

जनवरी 14, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।